प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2018**

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर जीर्ण-शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित है। यह पाया गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0) / ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी वर्तमान पात्रता सूची में सम्मिलित न हो पाने वाले अनेक परिवार छतविहीन एवं आश्रयविहीन हैं या कच्चे/ जर्जर आवासों में निवास कर रहें हैं।

2- ऐसे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा **"मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण "** लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) निम्नवत् हैं:-

1-**<u>योजना का नाम-</u>** **"मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण "।**

2-**<u>योजना की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य</u>**- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मात्र उन्हीं लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर हों, एक या दो कमरे के कच्ची दीवार एवं कच्ची छत युक्त मकानों में निवास कर रहे हों। यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनेक परिवार प्राकृतिक आपदा के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन हो जाते हैं, अनेक परिवार कालाजार से प्रभावित हैं/ वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) हैं / JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0) / ए0ई0एस0 से प्रभावित हैं और ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं, परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, इस कारण आवास का आवंटन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से इस योजना का प्रारम्भ किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3-योजनान्तर्गत पात्रताः-

3.1-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हो जाने वाले ऐसे परिवार जो आवासीय सुविधा न होने के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन हो जाते हैं किन्तु इस योजना में उन लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिनके मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें राजस्व विभाग से आवंटित की जाने वाली धनराशि रू0 95,100/-प्राप्त हुयी हो।

3.2-प्रदेश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में कालाजार से प्रभावित ऐसे परिवार निवास कर रहें हैं, जो आवासविहीन हैं या कच्चे/ जर्जर आवासों में निवास कर रहे हैं।

3.3-प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) परिवार निवास करते हैं, जो आवासविहीन हैं या कच्चे/ जर्जर आवासों में निवास कर रहे हैं।

3.4-प्रदेश के कतिपय ग्रामीण क्षेत्र में JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0)/ ए0ई0एस0 से प्रभावित ऐसे परिवार निवास कर रहे हैं, जो आवासविहीन हैं या कच्चे/ जर्जर आवासों में निवास कर रहे हैं।

3.5-उपर्युक्त प्रस्तर 3.1 से 3.4 तक में उल्लिखित ऐसे परिवारों के अतिरिक्त ऐसे सभी परिवार जो कि सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में समाहित नहीं है और वर्तमान में आवास विहीन हैं/ एक या दो कमरे के कच्ची दीवार या कच्ची छतयुक्त मकानों में निवास कर रहे हैं, को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जायेगा।

उपर्युक्त प्रस्तर-3.1 से 3.4 तक में उल्लिखित श्रेणियों के संतृप्तीकरण के पश्चात बजट में व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में प्रस्तर- 3.5 में उल्लिखित परिवारों को आवासों का आवंटन किया जायेगा। प्रस्तर-3.1 में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा के संबंध में पात्रता के परीक्षण की तिथि दिनांक 01.04.2017 होगी ।

3.6- उपर्युक्त वर्णित प्रस्तर-3.1 से 3.5 में उल्लिखित परिवारों की पात्रता का आंकलन करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गनिर्देशिका में परिभाषित Auto Inclusion के 05 मानकों (indicators) तथा Auto exclusion के 13 मानकों (indicators), जिसका विवरण निम्नवत है, के आधार पर सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण के उपरांत परिवार यदि Auto Inclusion के 05 मानकों में से किसी एक से भी आच्छादित है, तो परिवार स्वतः ही पात्रता सूची में सम्मिलित होगा और सर्वेक्षित परिवार Auto exclusion के 13 मानकों में से किसी एक से भी आच्छादित हो, तो पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं होगाः-

स्वतः अंतर्वेशन के लिए 05 मानदंडः-

i. आश्रयविहीन परिवार।
ii. बेसहारा/ भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले परिवार/ व्यक्ति।
iii. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार/ व्यक्ति।
iv. आदिम जनजातीय समूह।
v. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>बहिर्वेशन के लिए 13 मानदंड:-</u>

i. मोटरयुक्त दोपहिया/ तिपहिया/ चैपहिया वाहन/ मछली पकड़ने की नाव।
ii. मशीनी तिपहिया/ चैपहिया कृषि उपकरण।
iii. रू0 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
iv. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
v. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
vi. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य रू0 10,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
vii. आयकर देने वाले परिवार।
viii. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
ix. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
x. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
xi. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो।
xii. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
xiii. वे परिवार, जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिचाई का उपकरण हो।

उपर्युक्तानुसार सर्वेक्षण किये जाने के उपरांत जो परिवार आवास हेतु पात्र पाये जायेंगे, उन्हें अभावग्रस्तता के मानकों (deprivation indicators) के आधार पर अंक प्रदान करते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी। (सर्वाधिक पात्र को सबसे पहले एवं उसके पश्चात घटते क्रम में) अंक प्रदान करने के मापदण्ड निम्नवत होंगे:-

<u>अभावग्रस्तता के कारक (प्रत्येक के लिए 01 अंक):</u>-

1- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा।
2- 16 से 59 साल के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
3- 16 से 59 साल के बीच कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं होने वाले महिला मुखिया परिवार।
4- दिव्यांगजन सदस्य एवं परिवार में अन्य कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
5- अनुसूचित जाति/ अनु0जनजाति के परिवार।
6- 25 वर्ष के ऊपर का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।
7- भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का प्रमुख हिस्सा मैनुअल आकस्मिक श्रम (manual casual labour) से प्राप्त करते हैं।

3.6.1 तत्पश्चात उपलब्ध पात्र परिवारों में से प्रस्तर 3.1 से 3.4 में उल्लिखित श्रेणी के परिवारों की एक सूची तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तर- 3.5 में उल्लिखित परिवारों को deprivation (अभाव ग्रस्तता) के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर कुल प्राप्त अंकों की पृथक सूची तैयार की जायेगी। इस सूची के-03 भाग होंगे। भाग-1 में अनुसूचित जाति के परिवार, भाग-2 में अनुसूचित जनजाति के परिवार तथा भाग-03 में अन्य वर्ग (पिछड़ा वर्ग सहित) के परिवार सम्मिलित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिस परिवार को सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे, उस परिवार को सबसे ऊपर रखा जायेगा। अनुसूचित जाति सबप्लान एवं ट्राइबल सब प्लान हेतु प्राविधानित धनराशि के सम्पूर्ण उपयोग के उपरान्त यदि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार के अंक अन्य वर्ग के परिवार के अंक से अधिक हैं तो ऐसे अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवार को सामान्य मद(अनुदान संख्या-13) से भी आवास प्रदान किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक परिवारों के अंक समान पाये जाते हैं, तो निम्नानुसार पात्रता के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेगाः-

<u>योजनान्तर्गत प्रस्तर-3.1 से 3.5 में उल्लिखित लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु पात्रता क्रमः-</u>

योजनान्तर्गत मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष आवासविहीनों को आवासों के आवंटन हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं:-

(क)- **अनुसूचित जाति/ अनु0जनजाति के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम-**

1. सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/ अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/ परिवार।
2. अनु0जाति/ अनु0जनजाति के ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया विधवायें अथवा एकल अविवाहित महिलायें हों।
3. दिव्यांग (शारीरिक एवं मानसिक) अनु0जाति/ अनु0जनजाति के व्यक्ति।
4. भूकम्प, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरूप आवासविहीन हुए अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के परिवार।
5. अनु0 जाति/ अनु0जनजाति के अन्य परिवार।

(ख)- **सामान्य/ अन्य वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम निम्न प्रकार होगा-**

1. सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/ अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/ परिवार।
2. सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया विधवायें अथवा एकल अविवाहित महिलायें हों।
3. दिव्यांग (शारीरिक एवं मानसिक) सामान्य/ अन्य वर्ग के व्यक्ति।
4. भूकम्प, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपादाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरूप आवासविहीन हुए सामान्य/ अन्य वर्ग के परिवार।
5. सामान्य/ अन्य वर्ग के अन्य परिवार।

(ग)- उपर्युक्तानुसार पात्रता निर्धारण के पश्चात भी यदि समान अंक एवं समान प्राथमिकता के आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्ति/ परिवार समान स्थिति में पाये जाते हैं, तो उन लाभार्थियों को उनकी उम्र के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अर्थात् अधिक उम्र वालों को सबसे पहले तथा उससे कम उम्र वालों को क्रमशः उसके बाद में आवास आवंटित होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.6.2- तैयार की गयी प्राथमिकता सूची को जनपद स्तर से गठित त्रिसदस्यीय समिति से जांच कराते हुए अनुमोदित कराना होगा। जांचोपरान्त प्राथमिकता सूची को ग्रामसभा की खुली बैठक में अनुमोदित कराना होगा।

3.6.3- उपर्युक्त सूची का सत्यापन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या किसी अन्य आवासीय योजना के अन्तर्गत उस लाभार्थी को आवास स्वीकृत न किया गया हो, जिससे डुप्लीकेसी से बचा जा सके। यदि किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत परिवार को आवास मिला हो, परन्तु निर्मित आवास प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो, तो ऐसे परिवार को भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सकता है।

4-योजना के मुख्य बिन्दुः-

यह योजना शतप्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार के महिला सदस्य अथवा संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम होगा। यदि परिवार में महिला उपलब्ध न हो अथवा उसका देहान्त हो गया हो, तो मात्र पुरूष के नाम पर भी आवास का आवंटन किया जा सकता है।

4.1-आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मी0 होगा, जिसमें रसोईघर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा।

4.2-आवास की इकाई लागत समान्य क्षेत्रों में रू0 1.20 लाख तथा नक्सल प्रभावित जनपदों (चंदौली, मीरजापुर एवं सोनभद्र) में रू0 1.30 लाख होगी।

4.3-आवास हेतु अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में 03 किश्तों में अन्तरित की जायेगी। प्रथम किश्त सामान्य क्षेत्रों में 40 हजार, द्वितीय किश्त 70 हजार तथा तृतीय किश्त 10 हजार की होगी। नक्सल प्रभावित जनपदों में प्रथम किश्त 44 हजार, द्वितीय किश्त 76 हजार तथा तृतीय किश्त 10 हजार की होगी।

4.4-लाभार्थियों को मनरेगा से 90 दिन (नक्सल प्रभावित जनपदों में 95 दिन) का रोजगार दिये जाने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।

4.5-आवास के साथ शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (एस0बी0एम0) / मनरेगा से कराया जायेगा।

4.6-कमरों का आकार इत्यादि का निर्धारण लाभार्थियों की इच्छानुसार किया जा सकता है, परन्तु एक कमरा एवं एक किचन होना अनिवार्य है।

4.7-प्रत्येक आवास की मुख्य दीवार पर योजना का नाम, लाभार्थी का नाम, पिता/ पति का नाम एवं निर्माण वर्ष अंकित होगा।

5-वित्तीय प्रबन्ध-

वर्तमान अनुमान के अनुसार लगभग 25 हजार परिवार ऐसे चिन्हित हैं, जो उपर्युक्त पात्रता में वर्णित प्रस्तर-3.1 से 3.4 तक की श्रेणी में सम्मिलित हैं। योजना में लाभार्थियों का चयन वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार होगा। योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वांछित धनराशि का प्रावधान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.1-योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की अवमुक्ति के पश्चात इसके रख-रखाव हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।

5.2-आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर से संबंधित चिन्हित जनपद जिनमें उक्त योजना से आच्छादित परिवारों हेतु आवासों का निर्माण कराया जाना हो, उन जनपदों में धनराशि के रख-रखाव हेतु जनपद स्तर पर इस योजना का एक पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।

5.3-लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय खाते से सीधे ऑनलाइन FTO/RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

6-आवास का निर्माण-

6.1-आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रथम किश्त की अवमुक्ति के पश्चात प्लिंथ स्तर तक आवास का निर्माण अधिकतम दो माह में कर लिया जायेगा। प्लिंथ स्तर तक निर्मित आवास का फोटोग्राफ तथा निरीक्षण रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। प्लिंथ स्तर के आवास के निर्माण के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जायेगी।

6.2-द्वितीय किश्त की धनराशि से लाभार्थी द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया जोयगा। मात्र प्लास्टर एवं पुताई का कार्य तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा।

6.3-आवास का निर्माण अधिकतम 12 माह में अवश्य कर लिया जायेगा।

6.4-यदि लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का दुरूपयोग अगर लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो लाभार्थी से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जाएगी।

7- क्रियान्वयन एवं अनुश्रवणः-

7.1-योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों/ ग्रामों के अतिरिक्त किन्हीं विशिष्ट प्रकरणों में विशिष्ट लाभार्थियों/ ग्रामों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को होगा।

7.2-योजना का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी और राज्य स्तर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा।

7.2-जनपद स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी को परियोजना निदेशक योजना के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगें।

7.3-विकास खण्ड स्तर पर योजना का संचालन एवं अनुश्रवण का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी का होगा।

7.4-योजना की रिपोर्टिंग ऑन-लाइन होगी। रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप का निर्धारण आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर से किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 06/ 2018/ 216(1)/ 38-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0 प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
9- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक पंचायतीराज, उ0 प्र0।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
17- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
18- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।